RAJYA SABHA

Thursday, the 8th *December,* 2005/17 *Agrahayana,* 1927 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

[MR. CHAIRMAN *in the Chair.]*

MR. CHAIRMAN: Questions. Question No. 221.

Re. EPF INTEREST RATE

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड): सभापति जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं।

श्री सभापति: क्वेश्चन्स।

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति जी, यह देश के 5 करोड़ मजदूरों का सवाल है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ...(**व्यवधान**)...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): सभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठिए। माननीय सदस्य, इस तरह के पांच नोटिस आ चुके हैं- श्री दीपांकर मुखर्जी, श्री पेनुमल्ली मधु, श्री रुद्रनारायण पाणि, श्री यशवंत सिन्हा, श्री दिग्विजय सिंह, इन सबका विषय एक ही है। मैं यह समझता हूं कि इसे यदि क्वेश्चन ऑवर के बाद में लिया जाए तो मैं बात करुंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं, क्या क्वेश्चन ऑवर के बाद वे जवाब देंगे?

श्री सभापति: प्रधानमंत्री जी यहां रहें या न रहें, सरकार यहां रहेगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: सरकार की तरफ से यह बोल दिया ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: वह बोल दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: सरकार की तरफ से यह बोला जाए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: सरकार की तरफ से, आप क्या बोलेंगे, उस पर निर्भर करता है कि सरकार को किस बात का उत्तर देना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): सर, ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हाऊस के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए प्रश्न काल के बाद भी उस बात को सुनें, हम जो कहना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: वह सब ठीक है, प्रधानमंत्री जी नहीं होंगे तो प्रधानमंत्री जी की जगह सरकार का कोई न कोई प्रतिनिधि होगा। इसलिए कृपया क्वेश्चन ऑवर को डिस्टर्ब मत करिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: यह 5 करोड़ मजदूरों का मसला है और यह सरकार ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्वेश्चन ऑवर को डिस्टर्ब मत करिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: ईपीएफ इंटरेस्ट रेट को रोजाना घटा-घटाकर 8.5 फीसदी पर ले आया गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठिए। ..(**व्यवधान**).. मैं अलाऊ नहीं करूंगा ..(**व्यवधान**).. अलाऊ नहीं करूंगा। ...(**व्यवधान**)...

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): सर, क्वेश्चन ऑवर चलाया जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: प्रधानमंत्री जी ...(**व्यवधान**)... प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं यहां पर, वे कुछ ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्रधानमंत्री जी भी क्वेश्चन ऑवर में बोलना चाहेंगे तो मैं अलाऊ नहीं करूंगा। ...(**व्यवधान**)... प्रधानमंत्री जी भी क्वेश्चन ऑवर में इस पर कुछ बोलना चाहेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमार (गुजरात): सर, क्वेश्चन ऑवर शुरू किया जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: हमें न्याय दीजिए, सर। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: गरीबों को न्याय दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: एक बात सुनिए। ...(**व्यवधान**)... पहले मेरी बात तो सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रूद्रनारायण पाणि:*

श्री सभापति: रिकार्ड पर नहीं जाएगा, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... कुछ रिकार्ड पर नहीं जा रहा है, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आपने जो लिखा है, वह सुनाऊं क्या? इसमें आपने लिखा है कि क्वेश्चन ऑवर के बाद में लिया जाए, आप बीच में खड़े हो गए हैं। इसलिए मैं आप

*Not recorded.

लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन ऑवर को, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय जुड़े रहते हैं, मैम्बर्स मेहनत करते हैं क्वेश्चन्स के लिए जनता के कई प्रश्न आते हैं, प्रश्न काल में उनका हल निकलता है, कृपया प्रश्न काल को ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: *

श्री सभापति: लेकिन, जनता के इस सवाल के लिए व्यवस्था है। क्वेश्चन ऑवर के बाद या और किसी समय इस पर चर्चा हो सकती है। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि क्वेश्चन ऑवर को डिस्टर्ब न करें।

श्री शरद यादव: *

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: *

श्री सभापति: श्री ललित सूरी। ...(**व्यवधान**)... मैं अलाऊ नहीं करूंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं अलाऊ नहीं करूंगा। ...(**व्यवधान**)... श्री ललित सूरी। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए, बैठिए। ...(**व्यवधान**)..

श्री दिग्विजय सिंह: *

श्री सभापति: निर्देश दे तो दिया है। ...(**व्यवधान**)... सरकार को निर्देश दे दिया है, मैंने कह दिया है सरकार को। ...(**व्यवधान**)...

श्री विक्रम वर्मा: *

श्री सभापति: मैं ऐसा समझता हूं कि क्वेश्चन ऑवर की इम्पोर्टेंस खत्म नहीं होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: *

श्री सभापति: मैं आपको कह रहा हूं कि 11 बजे हैं, 12 बजे क्वेश्चन ऑवर खत्म होगा, उस समय आपको कोई मामला उठाना होगा तो उठा लीजिए। ...(**व्यवधान**)... क्वेश्चन नं॰ 221 ...(**व्यवधान**)... मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... कुछ रिकार्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... कुछ रिकार्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... मैं किसी को ...(**व्यवधान**)... कोई रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा ...(**व्यवधान**)... मैं किसी को भी कम्पेल नहीं कर सकता हूं ...(**व्यवधान**)... मैं केवल इतना कर सकता हूं कि मैं यदि ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... यदि मैं इस चीज़ को एलाऊ करूंगा तो सरकार की ओर से उत्तर आएगा।

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार: *

---

*Not recorded.

श्री दीपांकर मुखर्जी: *

श्री रूद्रनारायण पाणि: *

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: *

श्री शरद यादव: *

श्री दिग्विजय सिंह: *

श्री सभापति: ठीक है, आपको बोलना है, बोलते रहिए ...(व्यवधान)... जब स्टेटमेंट आ जाएगी ...(व्यवधान)... कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: *

श्री दीपांकर मुखर्जी : *

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: *

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: *

श्री सभापति: आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: *

श्री सभापति: देखिए आप क्वेश्चन आवर में यह इश्यू मत उठाइए ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए ...(व्यवधान)... ये सारे मामले क्वेश्चन आवर में ही क्यों उठ रहे हैं? ...(व्यवधान)... क्वेश्चन आवर ...(व्यवधान)... जी हां, मैं मानता हूं कि यह मामला गंभीर है, तो सरकार की तरफ से उत्तर दिया जाएगा और आपको बोलने की परमिशन भी दी जाएगी, इसमें दिक्कत क्या है? ...(व्यवधान)... मैं एलॉऊ नहीं करूंगा ...(व्यवधान)... मैं एलॉऊ नहीं करूंगा ...(व्यवधान)... Please take your seat, आप सीट पर जाइए ...(व्यवधान)... देखिए न तो यह रिकॉर्ड पर जाएगा और न ही टेलीविज़न पर जाएगा ...(व्यवधान)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: *

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: *

श्री सभापति: आप बैठिए तो सही। यह क्या मतलब है। ...(व्यवधान)... मैं खड़ा हूं और आप बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... बैठिए आप। ...(व्यवधान)... अगर इतना भी डेकोरम हाउस में नहीं रहेगा तो इसका भुगतान सबको करना पड़ेगा। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मैटर रेज कर दिया। क्वेश्चन ऑवर के बाद मैं इस पर निर्णय करूंगा। क्वेश्चन ऑवर तक आप क्वेश्चन

*Not recorded.

चलने दीजिए, तब तक मैं सारी स्थिति देख लेता हूं और मैं आपको यह एश्योर करता हूं on behalf of Government कि आप जो मामले उठाएंगे जिस समय उठाएंगे, किस तरह का मामला होगा, सरकार के पक्ष की ओर से कोई न कोई उत्तर देगा। ...(व्यवधान)... अब आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... हर चीज की सीमा होती है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Question No. 221.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Collapse of colliery

*221. SHRI LALIT SURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the roof of an abandoned CCL, Colliery near Hazaribag collapsed on 28th/29th September, 2005 leading to the death of a number of persons engaged in illegal mining there;

(b) if so, the number of the persons who lost their lives in the mishap;

(c) whether the matter has been investigated as to the role of unauthorized contractors/officials of the CCL, and others in the illegal mining which led to the mishap; and

(d) if so, the findings thereof and the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (DR. DASARI NARAYAN RAO): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes Sir, a portion of mine roof collapsed at Section-I quarry of Rajrappa Project of Central Coalfields Ltd. near Hazaribagh, Jharkhand while illegal mining was being done on 29.9.2005. The Officer Incharge of Rajrappa Police Station in his report dated 29.9.2005 has mentioned that two bodies were recovered from the accident site.

(c) and (d) The police has registered a case *vide* Rajrappa Police outpost (Police Station, Ramgarh), case No. 399/05 dated 29.9.05 under sections 286, 287, 338, 379, 304(A) of the Indian Penal Code and Section 30(ii) of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 and the matter is under enquiry by the police.